



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक /2017 जिला-देवास

PBR/अपील/देवास/आरआ/2017/6137

मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड,
सेहतगंज, जिला-रायसेन (म.प्र.)— अपीलार्थी

विरुद्ध

- 1- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर
- 2- उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता उज्जैन
- 3- जिला आबकारी अधिकारी जिला देवास
- 4- जिला आबकारी अधिकारी मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला-रायसेन

-- प्रत्यर्थागण

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017-18/4679 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिब्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-

1- यहकि, अपीलार्थी कम्पनी मेसर्स सोम डिस्टलरीज प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला-रायसेन द्वारा को वर्ष 2012-13 में जिला सागर के प्रदाय क्षेत्र में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति कार्यालय के पत्र क्रमांक 5(1)/2011-12/321 दिनांक 09.02.2012 से दी गयी थी।

2- यहकि, उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता उज्जैन के पत्र क्रमांक आब. /देका/2016/1350 दिनांक 05.10.2016 से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जिला देवास के स्टोरेज सोनकच्छ पर अवधि माह अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक कोंच की बोतलो में एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कोंच की बोतलों में नहीं रखा गया है।

3- यहकि, उपरोक्त अनियमितताओं के लिये प्रदाय संधिदाकार को कार्यालय के पत्र क्रमांक 5(1)/2016-17/5756 दिनांक 26.11.2016 से कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था। कि देवास जिले के स्टोरेज मध्यभाण्डागार देवास-कन्नौद एवं सोनकच्छ में, आसवक के द्वारा निरन्तर आवश्यकता एवं मांग अनुसार प्रदाय दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2012-13 में प्रदाय दिया गया। जिससे व्यवस्था सक्षम रही। साथ ही शासन के राजस्व में अतिरिक्त आय की वृद्धि हुयी जिसका मध्यभाण्डागार देवास-कन्नौद एवं सोनकच्छ के मासिक प्रदाय की जानकारी संलग्न की है एवं प्रदाय उपरान्त आसवक के उपरोक्त मध्य भाण्डागार सागर-सुरई एवं रहली में वर्ष 2012-13 में 2932544.025 प्रूफ लीटर का प्रदाय किये जाने के उपरांत आसवक के उपरोक्त मण्डागारों पर मदिरा का स्कंध अवशेष के रूप में संग्रहित थी। जिससे यह तथ्य को उल्लेखित करता है कि आसवक द्वारा न सिर्फ निरन्तर प्रदाय दिया गया। बल्कि नवीन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ


प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/अपील/देवास/आ.अ./2017/6137

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04/10/18	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह अपील आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017-18/4679 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 62 (2) (सी) के अंतर्गत पेश की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कंपनी को वर्ष 2012-13 के लिए स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र जिला देवास के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखने के निर्देश दिए गए थे। उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता उज्जैन के पत्र दिनांक 05.10.2016 के अनुसार अपीलार्थी कंपनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र मद्यभाण्डागारों में अवधि माह अप्रैल, 2012 से मार्च 2013 तक कुल 02 दिवसों में काच की बोतलों में न्यूनतम संग्रह नहीं रखे जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कंपनी को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017-18/4679 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कंपनी पर रुपये 15,000/- शास्ति अधिरोपित करते हुए उक्त 02 दिवसों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने के कारण रुपये 250/- प्रतिदिन के मान से रुपये 500/- की शास्ति भी अधिरोपित करते हुए कुल रुपये 15,500/- शास्ति अधिरोपित की गई। आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।</p> <p>3/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख से</p>	




स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कंपनी को वर्ष 2012-13 के लिए स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र देवास के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखने के निर्देश दिए गए थे। अपीलार्थी कंपनी द्वारा उसे प्राप्त प्रदाय क्षेत्र के मद्यभाण्डागारों में अवधि माह अप्रैल, 2012 से मार्च 2013 तक कुल 02 दिवसों में कांच की बोतलों में एक दिवस के प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है। अपीलार्थी कंपनी का उक्त कृत्य देशी स्पिरिट नियम एवं लाइसेंस की शर्त का स्पष्टतः उल्लंघन है। उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं होने पर अपीलार्थी कंपनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित है। इस संबंध में अपीलार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधि सम्मत होकर स्थिर रखे जाने योग्य है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील निरस्त की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने के आदेश दिए जाते हैं।</p>	

3


(एम.गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य